न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 48/2023

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. राजेश कुमार पुत्र नरेश कुमार जाति कम्बोज निवासी 60 एफ तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:— 27.03.2023

उपस्थितः 1.श्री भगवान दास, रामदयाल अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय—

दिनांक : 26.06.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 60 एफ, पटवार हल्का 61 एफ, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 77/78 में 0.259 हैक्टर नहरी कृषि भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त जमाबन्दी में वादी का नाम राकेश कम्बोज पुत्र नरेश कुमार दर्ज है। वादी का नाम आधार कार्ड, विद्यालय की मार्कशीट, परिवार राशन कार्ड में राजेश कुमार अंकित है। वादी के नाम में भिन्नता होने के कारण कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी मुताबिक दस्तावेजो के आधार पर नाम संशोधित करवाने हेतु घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। वर्तमान में अनुदान/ऋण संबंधित आवेदन पत्र ऑनलाईन हो चुके है, जिनका दस्तावेजो के अनुरूप मिलान किया जाता है, उसके पश्चात् ही अनुदान/ऋण स्वीकृत करना अनिवार्य कर दिया है। इस कारण विभिन्न समस्याओ से झूजना पड़ रहा है। इसलिए भी उक्त संशोधन करवाने हेतु वादी माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा करवा रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 60 एफ, पटवार हल्का 61 एफ, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 77/78 में क्रम संख्या 3 पर अंकित नाम राकेश कम्बोज पुत्र नरेश कुमार के स्थान पर राजेश कुमार पुत्र नरेश कुमार दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी [illegible] तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 3547 दिनांक 20[illegible] रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट [illegible] जमाबन्दी के खाता संख्या 77 में राकेश कम्बोज पुत्र नरेश कुमार के नाम [illegible] दर्ज रिकॉर्ड हैं। राशन कार्ड में वादी का नाम राजे[illegible] के आधार कार्ड [illegible] राजेश कुमार अंकित है। पटवारी हलका द्वारा मौके पर पूछताछ की गई [illegible]निक डायरी में फर्द मौका बनाया गया। उपस्थितजनों ने बताया कि वादी का सही नाम राजेश कुमार है। राजेश कुमार व राकेश कुमार एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी का नाम राजेश कुमार किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:37:45 IS
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 60 एफ, पटवार हल्का 61 एफ, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 78 के खाता संख्या 77 / 78 की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, राशन कार्ड की छायाप्रति, कक्षा 8 की अकतालिका की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 60 एफ, पटवार हल्का 61 एफ, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 77 / 78 में कम संख्या 3 पर अंकित नाम राकेश कम्बोज पुत्र नरेश कुमार के स्थान पर राजेश कुमार पुत्र नरेश कुमार दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात में नाम राजेश कुमार पुत्र नरेश कुमार दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 60 एफ की जमाबन्दी के खाता संख्या 77 में राकेश कम्बोज पुत्र नरेश कुमार के नाम से भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। राशन कार्ड में वादी का नाम राजेश कम्बोज व आधार कार्ड मे राजेश कुमार अंकित है। पटवारी हलका द्वारा मौके पर पूछताछ की गई व दैनिक डायरी मे फर्द मौका बनाया गया। उपस्थितजनों ने बताया कि वादी का सही नाम राजेश कुमार है। राजेश कुमार व राकेश कुमार एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी का नाम राजेश कुमार किया जाना उचित है। सरपंच ग्राम पंचायत 61 एफ के तस्दीक प्रमाण पत्र के मुताबिक राकेश कुमार व राजेश कुमार एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, सरपंच ग्राम पंचायत 61 एफ के तस्दीक प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136–राजस्व भू अधिनियम 1956 भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 60 एफ, पटवार हल्का 61 एफ, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 77 / 78 में क्रम संख्या 3 पर अंकित नाम राकेश कम्बोज पुत्र नरेश कुमार के स्थान पर राकेश कम्बोज उर्फ राजेश कुमार पुत्र नरेश कुमार दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर / लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर ए एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 26.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023, ग्राम पंचायत 27 एफ कमीनपुरा में सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर ए एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ✶ श्री करणपुर (श्री गंगानगर) ✶ सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:37:45 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)
मोती सिंह बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरक्ट मुकदमा नम्बर 154/2023
निर्णय दिनांक :- 26.06.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136 राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम चक 11 एस, पटवार हल्का धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076-79 के खाता संख्या 112/112 में क्रम संख्या 1 पर अंकित नाम मोती राम पुत्र मोहन सिंह के स्थान पर मोती सिंह पुत्र मोहन सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।
आज दिनांक 26.06.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	02	**00**	**योग**	**00**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर
दिनांक: 26.06.2023

क्रमांक: रीडर/ 2023/ 359
प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:37:45 IST
Reason: SelfAttested